

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2000
दिनांक 05 अगस्त, 2026 / 14 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

पूर्व-अग्निवीर और सीएपीएफ में रिक्तियां
2000 श्री प्रवीण चक्रवर्ती:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2026 के दौरान अपनी चार वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले अग्निवीरों की संख्या कितनी है तथा मंत्रालय को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) तथा असम राइफल्स (एआर) में कितनी संख्या में उनके समायोजन (एबजॉरप्शन) की अपेक्षा है;

(ख) सीएपीएफ तथा असम राइफल्स में वर्तमान में बल-वार कितनी रिक्तियां नहीं भरी गई हैं तथा वर्ष 2026-27 के दौरान कितनी रिक्तियां अधिसूचित किए जाने की संभावना है; और

(ग) अग्निवीरों के लिए घोषित आरक्षण के अंतर्गत आज की तिथि तक कितने भूतपूर्व अग्निवीरों की सीएपीएफ में भर्ती की जा चुकी है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) एवं (ख) अग्निपथ योजना के तहत, पहले बैच के कुल अग्निवीरों में से 75% सशस्त्र बलों में अपनी 4 साल की सेवा-अवधि पूरी करने वाले हैं। सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी)/राइफलमैन के पद के 50% रिक्तियों को आरक्षित करने का प्रावधान किया है।

(ग) वर्तमान स्थिति के अनुसार, अग्निवीरों के प्रथम बैच ने अपनी निर्धारित सेवा-अवधि पूरी नहीं की है।
